UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Sociology
Research Link - 163, Vol - XVI (8), October - 2017, Page No. 97-99
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

महिला श्रमजीवियों की स्थिति और समस्या : एक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में महिला श्रमजीवियों की स्थिति और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। 21वीं सदी महिलाओं की सदी है। महिलाएँ समाज के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। समाज का कोई क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं है, जहाँ पर वे न हों। वर्तमान समय की बात करें तो आज महिलाएँ व्यावसायिक क्षेत्र में श्रमजीवी के रुप में हर क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। महिलाएँ शिक्षण प्राप्त कर खुद आत्मनिर्भर होना चाहती है। उन्हें समाज में दोहरी भूमिकाएँ निभाना होती हैं और विभिन्न मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं और चुनौतियों के बाद भी वे समाज में अच्छी भूमिकाओं में संलग्न है। वे समाज सेविका, राजनीति में उच्च पदों पर, खेल जगत, आर्थिक जगत सभी जगह शामिल हैं। पुरुष प्रधान समाज में चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपनी योग्यता को प्रदर्शित करते हुए आगे ही बढ़ती जा रही हैं और अभूतपूर्व सफलताएँ प्राप्त कर रही हैं।

सविता आर.पटेल

प्रस्तावना :

समय चक्र के साथ–साथ व्यक्तियों के दृष्टिकोण एवं चिन्तन के ढंग में एक मूलभूत परिवर्तन हुआ है। महिलाएँ उद्यम स्थापना की ओर अग्रसर हो रही हैं। महिलाओं द्वारा उद्योग–धन्धों का तीव्र गति से विकास किया जा रहा है। बेरोजगरी से मुक्ति दिलाने का एक मात्र विकल्प उद्यमवृति है। उद्यमिता के विकास के लिए सरकार अपने उद्यम विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। वर्तमान युग में यह आवश्यक हो गया है, कि उद्यमिता–शिक्षा एवं पाठयक्रम के मध्यम से उत्साही महिलाओं को एक सही दिशा प्रदान की जाये, जिससे वे अपने प्रयत्नों को उत्पादक एवं सार्थक बना सके।

भारत सरकार भी आज महिला कल्याण के प्रति जागरुक हो गई है। आर्थिक और औद्योगिक विकास में भी महिलाओं के योगदान की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा कार्य के अनिश्चित घंटे, कार्य करने की स्वतंत्रता में कमी, आदि ने महिलाओ को आगे बढ़ने से रोका है। इस समय बहुत से कार्यक्रम ऐसे चलाए जा रहे हैं, जो पूर्ण रुप से महिलाओं के लिए हैं। जैसे महिलाओं के लिए वित्त की व्यवस्था, संसाधनों की व्यवस्था तथा प्रशिक्षण की सुविधा जिसके लिए सरकार और विशिष्ट संस्थाएँ आगे आई हैं। जिन क्षेत्रों को महिला उद्यम ने छुआ है, वे हैं, फूटकर कर व्यापार जैसे होटल, जलपान गृह, शिक्षा–सांस्कृतिक क्षेत्र, सफाई, बम तथा तैयार कपड़े के व्यापार आदि क्षेत्र में महिलाएँ काम करती हैं। नौकरी हो, स्वरोजगार हो, व्यवसाय हो अथवा शेयर बजार, फिल्म निर्माण हो अथवा उद्योग सेवा क्षेत्र हो, महिलाओं ने सभी क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। इस सफलता का राज महिलाओं का क्षेत्र विशेष में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करना है। वर्तमान में महिलाओं ने आर्थिक क्षेत्र में स्वयं को स्थापित कर लिया है। खेल के क्षेत्र में भी अपनी पहचान कॉमन वेल्थ गेम्स में कायम की है। महिलाओं ने संगीत, लेखन, राजनीति, समाज सेवा, सेना, पुलिस प्रशासन, प्रबन्ध सूचना प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, शिक्षा, खेल, सौन्दर्य आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपने बलबूते पर वर्चस्व कायम किया है।

महिला श्रमजीवियों की स्थिति :

औद्योगिक क्षेत्र में : 65 वर्षों का अनुभव हमें यह बताता है, कि सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को प्राप्त करने के लिए हमारे प्रयास तब तक सफल नहीं हो पाएंगें, जब तक कि हम विस्तृत लाभकारी औद्योगिक प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं। योजनाकाल के दौरान औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता लाने के लिए उद्यमिता की विचारधारा को प्रचलित करने के लिए पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। ऐसी महिलाएँ जो उत्पादक बनने की प्रक्रिया में है अथवा इसमें पहले से संलग्न है, उद्यमिता की भावना को विकसित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सरकार एवं अन्य सरकारी अभिकरणों द्वारा पूँजीगत सहायता, तकनीकी ज्ञान, प्रबंधकीय सहायता एवं अन्य रचनात्मक सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा स्तर पर लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर औद्योगिक प्रक्रिया में महिलाओं का सहयोग प्रदान कर सके।

कामकाजी महिलाओं के रुप में प्रथम वर्ग गरीब व निरक्षर महिलाओं का है। इस वर्ग की 90 प्रतिशत महिलाएँ कृषि कार्यों, चाय बागानों, खानों, भवन–निर्माण आदि कार्यों में संलग्न है। इनकी दो–तिहाई संख्या अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे पटरी विक्रेता, कलाकारी, घरेलू सेवा आदि। खेती के प्रत्येक कार्य में किसान की पत्नी उसका साथ बुवाई, गढ़ाई, फसल कटाई से लेकर खेत की रखवाली तक करती है। निम्न मध्यम वर्ग की महिलाएँ सब्जी, पान–बीड़ी, परचुनी दुकान छोटे–छोटे होटलों पर, मेले में, त्यौहारों पर अपने पति का हाथ बटाती हैं। महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या ठेका मजदूर के रुप में निर्माण उद्योग में कार्यरत हैं।

कामकाजी महिलाओं का दूसरा वर्ग उच्च व उच्च मध्य वर्ग की महिलाओं का है, जिन्हें नियमित व निश्चित स्तर तक शिक्षार्जन का

महिला कॉलेज, मेहसाना (गुजरात)

सौभाग्य प्राप्त है। मध्यम वर्ग की लड़कियों ने विज्ञान व तकनीकी शिक्षा की ओर कदम उठाये हैं, लेकिन यह प्रतिशत बहुत कम है। एक सर्वेक्षण के आधार पर हमारे देश में महिला वैज्ञानिक व तकनीकी विशेषज्ञों की संख्या प्रति हजार महिला जनसंख्या पर 1.28 है। विज्ञान के क्षेत्र में यह आंकड़े अधिक उत्साहवर्धक नहीं हैं।

महिलाओं का तीसरा वर्ग निजी स्तर पर अनेक प्रकार के कार्यो व व्यवसायों में संलग्न है। बड़े नगरों में शिशु गृह जैसी संस्थाओं का संचालन, ब्युटी पार्लर, आन्तरिक सजावट, पुष्प सज्जा, फल संरक्षण, सिलाई–बुनाई केन्द्र आदि व्यवसायों में उद्यम महिलाओं के रुप में उन्होंने एक और सफलता प्राप्त की है। महिलाएँ स्वयं बदल गयी है और अपनी योग्यता से अपना मुकाम हासिल कर रही है। वर्तमान में लड़कियाँ अपनी क्षमताओं और शक्तियों के बारे में जागरूक है।

आर्थिक क्षेत्र में :

आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता में इस शताब्दी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, किन्तु उन्हें उनकी मेहनत का जायज हक वर्तमान में प्राप्त नहीं हुआ है। पुरुषों के कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य करने पर भी उन्हें पक्षपात का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं ने कृषि कार्य, सरकारी–अर्द्धसरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में सहभगिता की है। शहरी एवं नगरीय क्षेत्रों में महिलाएँ नौकरी, लघु व्यवसाय, मकान निर्माण और घरेलू व्यवसायों में संलग्न है। महिलाएँ अब भी घर एवं बाहर दोनों क्षेत्रों में नए समीकरण रचने में व्यस्त है। महिलाएँ अपने बलबूते ही अपने को संभालना चाहती हैं। बिना किसी अहसान अथवा सहारे के सत्तर के दशक मे छोटी–मोटी नौकरी से अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की शुरुआत करने वाली महिला 90 के दशक तक आते–आते अपार सम्भवनाओं के रुप में सामने आई है।

देश की जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाओं का है। भारत के संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी संवैधानिक व्यवस्था से एक कानूनी ढ़ॉचा तैयार हो जाता है, जो महिलाओं के विकास के लिए कार्य करता है। देश की महिलाओं को जागरुक एवं सशक्त बनाया जाना आवश्यक है। ये व्यवस्थाएँ महिलाओं को आर्थिक एवं सामजिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भमिका निभाती हैं। सरकार द्वारा महिलाओं के कामयाब और सहायक सेवाओं, महिलाओं को रोजगार, प्रशिक्षण, आमदानी बढ़ाने, जागरुकता उत्पन्न करने, महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए नये–नये कार्यक्रम बनाये जाते हैं। आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में महिलाओं ने रोजगार पाने के मामले में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। बदलती हुई सामजिक–आर्थिक परिस्थितियों के कारण महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों मे पर्याप्त वृद्धि हुई है।

सामजिक क्षेत्र में :

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तिन होती रही है। भारत में महिला के अनेक स्वरुप हैं। वह ज्ञान, लक्ष्म, विद्या, कला, शक्ति और सौन्दर्य की प्रतीक है। जितना सम्मान भारतीय महिला का अपने देश में है, उतना सम्भवतः संसार के किसी भी अंचल में देखने और पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन दुःख है कि वैदिक युग के पश्चात् भारतीय रुढ़ियों और धर्मशास्त्रों के रचयिताओं ने महिला के लिए सीमाएँ निर्धारित कर दी। उसकी दुबर्लताओं पर एकाधिकार कर लिया और उसे अपनी दासी बनाकर एक भाग की वस्तु की तरह उसका जीवन पर्यन्त प्रयोग किया है। सामाजिक सुधार आन्दोलन के नेताओं ने महिलाओं के उद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशवदास, गोविन्द रानाड़े और महात्मा गाँधी अंग्रणी पंक्ति में आते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् महिला समाज में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति नई चेतना और जागृति का प्रादूर्भाव हुआ। महिलाएँ निरन्तर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है, इसलिए महिलाएँ आज छोटे पद से लेकर बड़े–बड़े पदों पर प्रतिष्ठित है।

पंचायती राज संस्थाओं को सामजिक क्षेत्र की कई बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। विकेन्द्रीकरण से सेवा प्रदाता की स्थानीय समुदाय के प्रति जिम्मेदारी बढ़ सकती है । शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता ने महिलाओं में अनोखा आत्म विश्वास एवं जागरुकता उत्पन्न की है। महिलाएँ अपने लिए जीना सीखी है। वह महसूस करने लगी है कि एक महिला ही उसे आगे बढ़ाने में बेहतर उपयोगी साबित हो सकती है। वर्तमान दशा आज एक ऐसे उद्यम की मांग करती है, जो समाज के प्रति जागरुक हो एवं जो दूसरों की प्रगति से चिन्तित न हो। आधुनिक उद्यम अपनी क्रियाओं के सामाजिक प्रभावों के प्रति पूर्ण रुप से जागरुक रहता है। उद्यमिता समाज में नये रोजगार, नई वस्तुओं, नये व्यवसाय एवं नये जीवन से ही नये समाज की रचना की जा सकती है।

राजनैतिक क्षेत्र में :

वैश्वीकरण ने आधुनिक युवा महिलाओं को गलोबल सिटीजन बना दिया है, जो आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित, आत्मविश्वासी है, जिसने पुरुष प्रधान, चुनौती पूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। वह केवल नर्स, शिक्षिका, स्त्री रोग की डॉक्टर न बनकर इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीशियन, सेना, पत्रकरिता, जैसे नये क्षेत्रों को अपना रही है। वस्तुतः 21 वी सदी महिलाओं की सदी है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है, जहाँ महिलाओं ने देश का नाम रोशन न किया हो। वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मख्यमंत्री, राज्यपाल, कुलपति, विद्यायक, सांसद, न्यायाधीश, जिलाधीश बनकर राष्ट्र का संचालन कर रही है। इन्दिरा गाँधी से लेकर, अरुंधती राय, कल्पना चावला, शोभा मुद्गल, पी.टी. उषा, हंसा मेहता, बरखा दत्त, किरण बेदी, कर्णम मल्लेश्वरी जैसी लाखों महिलाएँ हैं, जिनकी पहचान उनके पति या पिता से नहीं, बल्कि उनसे पिता या पति की पहचान है। राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं ने आदर पूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इन्दिरा गाँधी, प्रतिभा पाटिल, सुष्मा स्वराज, ममता बैनर्जी, आनंदी बेन जैसी महिलाएँ राजनैतिक क्षेत्र में उच्च स्थान पर हैं कि वे किसी भी तरह पुरुषों से कम नहीं है। वे हर क्षेत्र मे आगे आयी हैं। बात चाहे चाँद पर जाने की हो या समुद्री गोताखोरों की, घर में दायित्व निभाने की हो या सीमा पर सुरक्षा के सभी स्थानों पर महिलाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण सराहनीय योगदान दिया है। नेताओं के एक नये वर्ग के रुप में महिलाएँ समाज में परिवर्तनकारी की भूमिका बखूबी निभा सकती है। पिछले 15–16 वर्षों से भारत में महिला सशक्तिकरण का नया दौर प्रारंभ हुआ है, पर सशक्तिकरण जमीनी स्तर पर हुआ है। एक तरफ महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। राजनैतिक सशक्तिकरण की दृष्टि से भारत की महिलाओं का स्थान 128 देशों में 21 वें स्थान पर है।

महिला श्रमजीवियों की समस्याएँ :

(1) आर्थिक समस्याएँ : किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में

लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लघु उद्योग के विकास एवं विस्तार से बेरोजगारी को कम करने के साथ–साथ आर्थिक सत्ता वितरण व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के बीच अधिक होता रहा है। इसी से आर्थिक–सामजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में संतुलित विकास सम्भव हो पाता है। वर्तमान आर्थिक युग में महिलाएँ अधिक स्वावलंबी हुई हैं। महिलाओं में आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ा है। ये लहर केवल शहरी महिलाओं तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है, ग्रामीण महिलाओं की स्थिति मे भी पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है। महिलाएँ वर्तमान में उद्योग की स्थापना कर रही है, जिससे उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वित्त की समस्या, न्यूनतम पूँजी की समस्या, वित्तीय दूरदर्शिता पूँजी के सदुपयोग की समस्या, नियोजित विस्तार की समस्या, आर्थिक सत्ता के सामजिक उपयोग की समस्या, आर्थिक स्वतंत्रता की समस्या, बैंकों की उदासीनता की समस्या, वर्तमान में महिलाएँ मुश्किलों का सामना कर रही हैं।

(2) सामजिक समस्याएँ : सामजिक जीवन में महिलाएँ सदैव स्मस्याओं से पीड़ित रही हैं। वैदिक एवं उतर वैदिक काल में भी महिलाओं के सम्बंध में बहुत अच्छे उदाहरण नहीं मिलते हैं। यह बात अवश्य थी कि इस युग में महिला के शक्ति स्वरुप को मान्यता मिली हुई थी। उच्च समाज में उन्हें मान–प्रतिष्ठा प्राप्त थी। मध्यकाल में स्थिति दयनीय थी। इस के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई थी। आधुनिक युग में भी महिला की स्थिति दयनीय बनी हुई है। स्वतंत्रता के बाद इस स्थिति में सुधार हुआ है। महिला श्रमजीवी से संबंधित सामजिक समस्याएँ– रुढ़िवादी समाज, परम्परावादी गृहिणी का काम, पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ महिलाओं का अपना शैक्षणिक स्तर, महिलाओं की अपनी व्यक्तिगत सोच, महिला उद्यमियों के घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियों का निर्वाह, बच्चे के पालन–पोषण की समस्या, सामजिक नवप्रवर्तन की समस्या, नये मूल्यों व परम्परा ओं में उचित सामंजस्य की समस्या, मनवीय मूल्यों के ह्रास, प्राकृतिक संतुलन की समस्या, परिवार में संलिप्त रहना, पुरुष प्रधान समाज जैसी सामजिक समस्याएँ महिला के विकास में बधा बनती हैं।

(3) राजनैतिक समस्याएँ : भारतीय राजनीती का महौल इतना गन्दा हो गया है कि इस क्षेत्र में आने वाली महिलाओं को अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कई प्रकार से हतोसाहित किया जाता है। काफी अपमान और उपेक्षा का शिकार भी होना पड़ता है। उसके बावजूद वे इस दिशा में इतनी हताश और निराश नहीं हैं। वे हर प्रकार के संघर्षो का सामना करते हुए बड़े साहस और धैर्य के साथ अपना स्थान पाने में सफल हो रही हैं, लेकिन साथ में बधाएँ भी बहुत सी आती रहती हैं। राजनीति में महिलाओं का प्रवेश पुरुषों के प्रति प्रतिद्वंदिता का नही, समाज के प्रति प्रतीबद्धता का है। महिलाओं के लिए राजनैतिक क्षेत्र एक चुनौती है। बहु–उद्देश्यों की संतुष्टि की समस्या, सहयोगात्मक राजनीतिक वातावरण की समस्या, वर्तमान व्यवस्थाओं में व्यवसायिक आचार–व्यवहार न कर पाना, दूसरे दर्जे का व्यवहार, अपर्याप्त सरकारी सुविधाएँ एवं प्रेरणाएँ, संसाधनों का अभाव, विभाग में सामंजस्य का अभाव, महिलाओं के अस्तित्व की एक चुनौती है।

(4) प्रशासनिक समस्याएँ : आज के प्रतियोगी वातावरण में प्रयत्न यही करना चाहिए कि प्राप्त साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो। इस क्रम में मानव संसाधनों की अहम भूमिका है, क्योंकि अन्य संसाधनों का उपयोग इनके द्वारा ही किया जाता है। मध्यम और छोटे उपक्रम, संस्था तथा फिल्मों में कुशलता की कमी का अनुभव करते हैं। विकासशील देश में कुशल श्रम की कम पायी जाती है। सूचनाओं तथा अनुभव की कमी, अभिप्रेरणा की अभाव, आधारभुत सुविधाओं की उपलब्धि की समस्या, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का अभाव, जोखिम प्रबन्ध की समस्या, नवप्रवर्तन की समस्या, शोध एवं विकास पर कम व्यय, तकनीकी एवं प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव आदि प्रशासनिक समस्याएँ बाधा बनती हैं।

सुझाव :

(1) पारिवारिक स्तर पर : लड़कों एवं लडकियों दोनों को स्वावलम्बी बनने, स्वयं निर्णय लेने, परिवार के सदस्य आधुनिक विचारों को अपनाते हुए महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

(2) शैक्षणिक स्तर पर : शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा यदि इस बात का प्रयास किया जाता है, कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अपनी संस्था में प्रवेश दें। उनके बैद्धिक विकास की उन्नति के लिए प्रयत्न करे, शैक्षणिक स्तर पर उन्हें विभिन्न उपयोग वस्तुओं की जानकारी, कार्य करने की कुशलता आदि के बारे में प्रयास करे।

(3) सामाजिक स्तर पर : महिला उद्यमित को बढ़ावा देना आवश्यक है। महिला उद्यमिता के लिए सामजिक स्तर पर लोग में जागरुकता लाने के लिए समाज के हर वर्ग को सहयोग देने की आवश्यकता है, जिससे वे व्यवसाय और उद्योग चलाने के लिए प्रोत्साहित हो सके।

(4) सरकारी स्तर पर : वितीय और विकास प्रेरक संस्थाओं में महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएँ बनाई गई हैं, जैसे "महिला उद्यम निधि", 'सीडकैविहल', 'मार्जिन मनी योजना' आदि द्वारा महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने में सहायता रुप बनती है, जिससे महिलाओं का सम्मान हो। गैर–सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के स्तर पर प्रयत्न हो रहा है, जैसे एसोसियेशन, महिला मण्डल, महिला क्लब आदि के रुप में स्थापित है, जो महिला उत्थान के लिए कार्यरत हैं।

उपसंहार :

सृष्टि के संचालन का दायित्व महिलाओं पर है और पर अपने आप में एक अद्‌भूत रोमांचक और मधुर अनुभव है। महिला केवल जनसंख्या में वृद्धि करने वाला उपकरण मात्र नहीं है। महिलाओं ने चौखट से चाँद तक की यात्रा तय की है एवं महिलाओं ने आधुनिक युग में पुरुषों को विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त चुनौती दी है। वर्तमान में सिख महिलाओं की एक बटालियन तैयार की गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्षो में महिलाओं ने केवल नवीन क्षेत्रों को चुना ही नहीं है, बल्कि छूआ भी है, अपना साम्राज्य स्थापित किया है। 15 अगस्त 1947 से प्रारम्भ हुई महिला जागृति की उड़ान इतनी ऊँचाई पर आ गयी है, कि लगता है, कि इनके इरादों के लिए आसमान भी छोटा पड़ जाएगा। आर्थिक जगत में महिलाओं के इस प्रवेश ने सूक्ष्म स्तर पर परिवार निर्माण एवं व्यापक स्तर पर राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है।

सन्दर्भ :

*(1) गुप्ता, डॉ. यू.सी.गप्ता एवं गुप्ता, डॉ.मीनाक्षी गुप्ता : महिलाएँ एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम। **(2)** आहुजा, राम : सामजिक समस्याएँ, रावत पब्लीकेशन्स, नई दिल्ली। **(3)** यादव, डॉ.कमला : महिला सशक्तिकरण और मानवाधिकार, डॉ.एन.डी.पब्लिकेशन्स, जयपुर। **(4)** कपूर, डॉ.प्रियंका : समाजशास्त्री विश्वकोश, अर्पण पब्लिकेशन, नई दिल्ली।*

❁❁

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Sociology
Research Link - 163, Vol - XVI (8), October - 2017, Page No. 100-101
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

बस्तर के पुरातत्व में उभरती जन-संस्कृति

प्रस्तुत शोधपत्र, बस्तर के पुरातत्व में उभरती जन-संस्कृति के अध्ययन से सम्बंधित है। बस्तर के जनजातीय समाज ने जीवन अस्तित्व के लिए 'आदिम साम्यवादी' विचारों की सामाजिक व्यवस्था को स्वरुप दिया। यह व्यवस्था लाभ एवं संसाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर 'सामूहिकता एवं सह-अस्तित्व' के सिद्धांत पर कार्य कर रही थी। यद्यपि इनकी सामाजिक व्यवस्था बाहरी दृष्टिकोण से अनपढ़ लगती हो, परंतु स्थानीय भौगोलिक परिदृश्य में जीने के लिए अत्यंत सूझबूझ की है। प्रकृति की आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर, सामाजिक व्यवस्था को इसके अनुकूल रखा गया। यह किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ, अपितु प्रकृति से सामंजस्य स्थापित कर जीते हुए स्वाभाविक रुप से विकसित हुआ। अतः जनजातीय सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था प्रकृति के प्रति सहिष्णुता की है।

डॉ.मनीषा महापात्र

संस्कृति एक सामाजिक क्रिया है, जिसकी अभिव्यक्ति नृत्य एवं संगीत के साथ शिल्प कला में होती है तथा भवन, मंदिर एवं मूर्तिशिल्प का विकास होता है। समय के साथ सामाजिक/सांस्कृतिक क्रियाएँ इतिहास बनाती हैं तथा भवन, मंदिर एवं मूर्तिकला को पुरातत्व के रूप में देखा समझा जाता है। अतः 'समाज एवं संस्कृति' का 'इतिहास एवं पुरातत्व' से सीधा संबंध है।

बस्तर के जनजातीय समाज ने जीवन अस्तित्व के लिए 'आदिम साम्यवादी' विचारों की सामाजिक व्यवस्था को स्वरूप दिया। यह व्यवस्था लाभ एवं संसाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर 'सामूहिकता एवं सहअस्तित्व' के सिद्धान्त पर कार्य कर रही थी। यद्यपि इनकी समाजिक व्यवस्था बाहरी दृष्टिकोण से अनगढ़ लगती हो, परन्तु स्थानीय भौगोलिक परिदृश्य में जीने के लिए यह अत्यंत 'सूझबूझ' की है। प्रकृति की आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर, सामाजिक व्यवस्था को इसके अनुकूल रखा गया। यह किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ, अपितु प्रकृति से सामंजस्य स्थापित कर जीते हुए स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ। अतः जनजातीय सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था प्रकृति के प्रति सहिष्णुता की है।

जनजातीय सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्य था, दुरूह प्रकृति से तालमेल स्थापित कर जीवन को संभव करना। समाज ने प्रकृति की गतिविधियों तथा इसकी आवश्यकताओं को ध्यान से देखा, समझा तथा इसके अनुरूप क्रियाएँ संपादित की। ये क्रियाएँ समाज की संस्कृति के रूप में विकसित हुई। अतः बस्तर के जनजातियों की संस्कृति उनके सौंदर्यबोध के साथ 'सामूहिकता एवं सहअस्तित्व' के जीवनबोध की अभिव्यक्ति है।

सामाजिक व्यवस्था, मानव के ज्ञान के स्तर, भौगोलिक स्थितियाँ विकास के सोपान तथा परस्पर अंतः क्रिया पर निर्भर करती है। मानव स्वयं के जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था को गतिशील बनाए रखने के लिए जिन क्रियाओं को करता है, वह उस समाज व्यवस्था की संस्कृति होती है। प्रकृति से सुरक्षा के लिए जनजातियों ने सामूहिक रूप से संगठित होकर 'हम के अदम्य साहस' के साथ संगीत और नृत्य की क्रियाएँ की। अतः इनकी विषयवस्तु 'सामाजिक जीवन' पर तथा ढांचा 'संस्कृति' पर केन्द्रित है। यह शारीरिक थकान को दूर करने का एक 'साधन' है, लक्ष्य की प्राप्ति का एक 'मार्ग' है तथा परस्पर समन्वय का एक 'सूत्र' है।

जनजातीय संस्कृति का माध्यम 'नाद' है। जिसमें गीत, वाद्य, एवं नृत्य सम्मिलित है। लिंगों को आद्य संगीतज्ञ माना जाता है। जनजातीय मानस लिंगों की कल्पना नटराज से करता हुआ प्रतीत होता है। पुराणों के अनुसार शिव नृत्य के जन्मदाता है, तो जनजातीय मिथकों के अनुसार 'लिंगो' ने नृत्य के पदसंचालन तथा गीत की शिक्षा दी है।

लिंगो ना बहले पाट।
लिंगो न बहले डाका।

(लिंगो के द्वारा सिखाए गए गीत,
लिंगो के द्वारा सिखाया गया नृत्य)

जनजातीय समाज में शिव सिर्फ शक्ति ही नहीं, वरन् 'नृत्य एवं संगीत' अर्थात् जीवन के पर्याय भी है। बारसूर, भैरमगढ़ और समलूर के मध्यकालीन मंदिरों में स्थापित शिवलिंग लगभग ग्यारहवीं सदी के निर्मित है। बारसूर के 32 खंभा मंदिर के गर्भगृहों में स्थापित शिवलिंग क्रमशः 'सोमेश्वर' एवं 'गंगाचरेश्वर' के नाम से पूजित थे। गढ़धनोरा में टीले के ऊपर स्थापित शिवलिंग पूर्व–

प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग), शा.दू.ब.महिला स्वशासी महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

मध्यकालीन है। मटनार ग्राम में प्राप्त शिव–पार्वती की युगल प्रतिमा स्थानीय मूर्तिकला का उत्कृष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है।

घने जंगल और नदी–नाले मूसलाधार वर्षा, कडकड़ाती ठंड जंगली जानवर, इन सबसे जूझता हुआ आदिवासी सुरक्षित रहकर अपनी जिंदगी में एक वर्ष जब और जोड़ लेता है तब वह 'लिंगो' एवं देवी–देवताओं की आराधना में श्रृंखलाबद्ध रूप से मेले एवं मड़ई की मस्ती में नृत्य एवं संगीत में झूम उठता है। प्राकृतिक और पारिवारिक विपदाओं को वह दैवीय प्रकोप मानकर अपनी गलतियों के लिए देव से क्षमा याचना करता है तथा वनोपज एवं कृषि उत्पादों की प्राप्ति को देव की कृपा मानकर उसके प्रति कृतज्ञ होता है।

जनजातीय समाज के द्वारा देव के प्रति क्षमा एवं कृतज्ञता दोनों ही भावों की अभिव्यक्ति लिंगो के द्वारा सिखाए गए नृत्य एवं संगीत के माध्यम से की जाती है। नृत्य एवं संगीत की विषयवस्तु प्रकृति तथा जीवन पर केन्द्रित है। इसके माध्यम से जहाँ वे प्राकृतिक स्थितियों से तालमेल स्थापित करते हैं, वहीं दूसरी ओर सामूहिक जीवन जीने की शक्ति भी प्राप्त करते हैं। अर्थात् लिंगो देव होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से जनजातीय समाज के गुरू एवं मित्र दोनों की भूमिका का निर्वहन करते हैं, 'लिंगो' बस्तर के पुरातत्विक अवशेष नहीं, वरन् एक जीवन दर्शन है, जीवित संस्कृति है। उत्तर से दक्षिण बस्तर की ओर यद्यपि नृत्य एवं संगीत का स्वरूप परिवर्तित होता है, पर लिंगो का सांस्कृतिक साम्राज्य अक्षुण्ण बना रहता है। यह क्षेत्र में पाए गए पुरातत्विक अवशेषों से स्पष्ट है।

<u>संदर्भ</u> :

(1) राय, मनीष बलराम (संपादन) (1982) : इंद्रावती, प्राची प्रकाशन, नई दिल्ली।

***(2)** डोम मोरिस (1983) : आन्सर्ड बाय फ्लूटस, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।*

***(3)** जगदलपुरी लाला (1994) : बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, म0प्र0 हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।*

***(4)** शुक्ल, हीरालाल (1986) : आदिवासी संगीत म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।*

***(5)** वेरियर, एल्विन (1991) : द मुरिया एवं देयर घोटूल, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस पुनर्मुद्रण वन्या प्रकाशन, भोपाल।*

***(6)** महापात्र, के.एम. (2013) : दंतेवाड़ा जिले की जनजातियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का भौगोलिक अध्ययन, शोध प्रबंध (अप्राकाशित)।*

☸ ☸

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Sociology
Research Link - 163, Vol - XVI (8), October - 2017, Page No. 102-104
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

समकालीन समाज में वृद्धावस्था की समस्याएँ एवं समाधान (भोपाल नगर के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में भोपाल नगर के विशेष संदर्भ में समकालीन समाज में वृद्धावस्था की समस्याओं एवं समाधानों का अध्ययन किया गया है। भारतीय दर्शन में मानव जीवन को चार पड़ावों में विभाजित किया गया है - ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चार पड़ावों में मनुष्य के लिए कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था। वर्तमान समाज में परिवार के बदलते स्वरुप के कारण परिवार के वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति एवं कार्यों में भी परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण वृद्धावस्था में पारिवारिक सुरक्षा एवं सहायता में कमी हो रही है। समय की बदलती आवश्यकताओं ने परिवार की जगह वृद्धाश्रम ने ले ली है। वृद्धावस्था में व्यक्ति परिवार की जगह वृद्धाश्रम में रहना उचित समझ रहा है, क्योंकि वहां उन्हें सेवा, सुरक्षा व सहायता के साथ उनकी अकेलेपन की कमी भी दूर हो रही है। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो कि वर्तमान समय की प्रमुख सामाजिक समस्या है। *कुँजी शब्द : वयोवृद्ध, निराश्रित, वैश्विक, एकाकीपन, उपेक्षा, वैचारिक मतभेद, नैतिक मूल्य, संस्कार आदि।*

श्रीमती सुनिता कटारिया* एवं श्रीमती वीणा साहू**

वृद्धावस्था से अभिप्राय व परिभाषा :

सामान्य जीवन के परवर्ती काल को वृद्धावस्था कहा जाता है। वृद्धावस्था शरीर की क्रियाशीलता में कमी है, जो कि बढ़ती उम्र के साथ परिलक्षित होती है। वृद्धावस्था मानव जीवन की चार अवस्थाओं में से अंतिम अवस्था है जो कि स्वाभाविक व प्राकृतिक घटना है।

राष्ट्रीय वृद्धजन नीति के अनुसार ''60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को "वृद्ध" कहा जाता है। सन् 1919 में कुल आबादी का 63 प्रतिशत (अर्थात 3.6 करोड़) 60–69 वर्ष के आयुवर्ग के लोगों का था, इस आयु वर्ग के व्यक्तियों को "अपेक्षाकृत कम वृद्ध" (Not so old) या "वृद्ध" (old) का दर्जा दिया गया। 80 वर्ष एवं ऊपर के 11 प्रतिशत (अर्थात 60 लाख) वृद्धों को "वयोवृद्ध" (Older old) या अतिवृद्ध की श्रेणी में रखा गया।''

अध्ययन क्षेत्र व विधि :

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के तीन वृद्धाश्रम 'आसरा' वृद्धजन सेवा केन्द्र, आनंदधाम (सेवा भारती) वृद्धाश्रम, लांयस क्लब वृद्धाश्रम में रहने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 100 सदस्यों के मध्य साक्षात्कार, प्रश्नावली व अवलोकन के माध्यम से वृद्धाश्रमों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की गम्भीर समस्याओं से संबंधित तथ्यों का संकलन किया गया है। संकलित तथ्यों के आधार पर वृद्धावस्था में एकाकीपन, गरीबी, परिवार द्वारा उपेक्षा, शारीरिक कमजोरी जैसी समस्याओं का सामना वृद्धजन कर रहे हैं।

एजवेल फाउंडेशन द्वारा किया गया शोध :

उम्र बढ़ने के साथ ही अकेलापन बुजुर्गों के लिए मानसिक रोगों का कारण बन रहा है। अकेलेपन के कारण होने वाली निराशा मानसिक बीमारियों को बढ़ावा दे रही है। देश में 100 में से 43 वरिष्ठजन अकेलेपन के कारण मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। 50 हजार लोगों पर यह सर्वे किया गया। इसमें शामिल 45 प्रतिशत वरिष्ठजनों का मत है कि उनके परिजन उनकी जरूरतों और इच्छाओं का ख्याल नहीं रखते हैं। उम्र बढ़ने के साथ इस दोयम दर्जे के व्यवहार से उनकी मनोस्थिति पर बुरा असर पड़ता है।

वैश्विक बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस' के अवसर पर हेल्पेज इंडिया ने ''भारत में बुजुर्ग दुर्व्यवहार 2017'' पर राष्ट्रव्यापी रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु :

(1) सार्वजनिक स्थल पर 44 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिकों के साथ बुरा व्यवहार होता है। विश्लेषण के आधार पर दो में से एक बुजुर्ग को इसका सामना करना पड़ता है।

(2) तथ्यों के अनुसार 53 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक यह महसूस करते हैं कि भारतीय समाज में उनके प्रति भेदभाव किया जाता है।

(3) 64 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक का मत है कि जहाँ उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, वहाँ से वे दूर हो जाएँ।

(4) 61 प्रतिशत बुजुर्गों का कहना है कि वृद्धजनों की क्रियाशीलता में कमी के कारण उनसे लोग गुस्सा हो जाते हैं।

(5) 52 प्रतिशत बुजुर्गों का कहना है कि अगर वह अच्छे तरीके से कपड़े न पहने, तो उन्हें ज्यादा अपमानित किया जाता है। 54 प्रतिशत बुजुर्गों का कहना है कि उन्हें अपनी उम्र से छोटे व्यक्ति ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, बड़ी उम्र के व्यक्ति की तुलना में।

**प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र विभाग), शासकीय गीतांजलि कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, भोपाल (मध्यप्रदेश) **शोधार्थी (समाजशास्त्र विभाग), यू.टी.डी. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (मध्यप्रदेश)*

(6) 13 प्रतिशत बुजुर्गों का मत है कि बैंक कर्मचारी उनके साथ रूखा व्यवहार करते हैं व मॉल स्टाफ द्वारा बुजुर्गों के साथ 17 प्रतिशत, बस कण्डक्टर व ड्रायवर द्वारा 16 प्रतिशत, डाकघर कर्मचारी द्वारा 19 प्रतिशत है।

वृद्धावस्था की गंभीर समस्याएँ :

बुजुर्गों की गम्भीर समस्याओं से संबंधित तथ्यों के आधार पर समाज में वृद्धावस्था से जुड़ी कई समस्याएँ हैं। जनसंख्या विशेषज्ञ बताते हैं कि पिछले 100 वर्षों में चिकित्सा सुविधाओं में काफी विकास हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के औसत आयु में बढ़ोतरी हुई है। भारत में वृद्धजनों की आबादी पूरी दुनिया में दूसरे नम्बर पर है। वृद्धावस्था से संबंधित समस्याओं के तथ्यों के संकलन के लिए 100 वृद्धजनों के मध्य उक्त विषय पर अध्ययन के बाद निम्न तथ्य प्राप्त हुए हैं, जो दी गई तालिका अनुसार हैः

तालिका 1

क्र.	गम्भीर समस्याएँ	उत्तरदाता संख्या	प्रतिशत
1	समस्या नहीं है	100	01
2	बीमारी व शारीरिक कमजोरी	100	53
3	आर्थिक तंगी	100	31
4	अकेलापन	100	20
5	पारिवारिक उपेक्षा	100	19
6	वैचारिक मतभेद	100	10

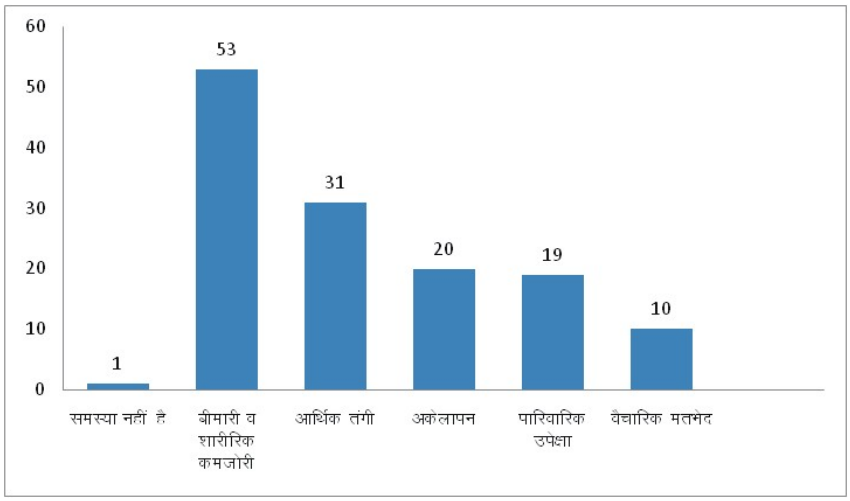

समाज में बुजुर्गों की गम्भीर समस्याओं से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण तालिका में प्रदर्शित किया गया है। समाज में प्रमुख गम्भीर समस्याएँ निम्नलिखित हैं :

(1) बीमारी व शारीरिक कमजोरी : बीमारी व शारीरिक कमजोरी 53 प्रतिशत वृद्धजनों के अनुसार वृद्धावस्था की प्रमुख समस्या है। वृद्धवस्था में बीमारी एक प्रमुख समस्या होती है, जो ढलती उम्र के साथ–साथ बढ़ती जाती है, क्योंकि वृद्धवस्था में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जाती है और शरीर रोगों का घर बन जाता है।

(2) आर्थिक तंगी : आर्थिक तंगी वृद्धावस्था की प्रमुख समस्याओं में से एक है। उम्र के बढ़ने के साथ शारीरिक परिवर्तन का होना एक स्वाभाविक क्रिया है, जिसमें शारीरिक कमजोरी भी एक है, जिसके कारण वृद्ध व्यक्ति शारीरिक श्रम करने में असमर्थ होता है व उसकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। वह अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, जिससे परिवार के सदस्यों पर निर्भरता बढ़ जाती है। सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन एवं सेवानिवृत्ति पेंशन द्वारा कुछ हद तक आर्थिक मदद तो की जाती है, परन्तु वृद्धावस्था में शारीरिक बीमारी व कमजोरी में भी बहुत खर्च बढ़ जाता है, जिसके लिए भी आर्थिक मदद की अधिक आवश्यकता होती है। प्राप्त तथ्यों के अनुसार 31 प्रतिशत वृद्धजनों के मुताबिक आर्थिक तंगी वृद्धावस्था की प्रमुख समस्या है।

(3) अकेलापन : आधुनिक जीवन शैली पर पश्चिमीकरण का प्रभाव के कारण सामाजिक व नैतिक मूल्यों की कमी हुई है परिणाम स्वरूप व्यक्तिवादिता का विकास हुआ है। परिवार में माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों की सेवा सुरक्षा व सहायता करना परिवार के सदस्यों का प्रमुख कर्त्तव्यों में से एक माना जाता था, परन्तु वर्तमान समय में यह कार्य गैर–सरकारी संस्थान व सरकार द्वारा चलाये जा रहे वृद्धाश्रमों ने ले लिया है, जहाँ परिवार द्वारा उपेक्षित, निराश्रित, गरीब वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, सुरक्षा व देखभाल की जा रही है। वृद्धावस्था में अकेलापन 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार प्रमुख समस्या है।

(4) पारिवारिक उपेक्षा : वृद्धजनों की पारिवारिक समस्या से संबंधित तथ्य के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 जनवरी, 2004 को सत्तर वर्षीय माता–पिता जिन्होंने न्यायालय में सहायता के लिए आवेदन दिया था, जिसमें यह शिकायत की गयी थी कि बेटे तथा बहू के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। जिसके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया कि बेटे तथा बहू को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है, कि "वृद्ध माता–पिता को उत्पीड़ित न किया जाए। वयोवृद्ध दम्पति की आवश्यकताओं को उचित रूप से पूरा किया जाये तथा उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई पैदा न की जाये।"

समाज में हो रहे परिवर्तनों के साथ–साथ परिवार में भी परिवर्तन हो रहे हैं। बुजुर्गों की गम्भीर समस्या में पारिवारिक उपेक्षा का 19 प्रतिशत है। आज परिवार में बुजुर्गों की पारिवारिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं अपने फैसले लेना व परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति के साथ वैचारिक मतभेद जैसी कई पारिवारिक समस्याओं का सामना वृद्धावस्था में वृद्धजनों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पारिवारिक उपेक्षा भी एक है।

(5) वैचारिक मतभेद : वर्तमान समाज में बुजुर्गों के विचारों को पुरानी विचारधारा बताकर उनके विचारों से असहमति देना आज की प्रमुख परम्परा बन गई है, जिसे हम वैचारिक मतभेद या वैचारिक सामंजस्य में कमी कह सकते हैं, जिसका वृद्धावस्था की प्रमुख समस्याओं में 10 प्रतिशत है।

परिवार में वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा, परिवार में बच्चे होने के बावजूद अकेलापन महसूस करते हैं एवं बढ़ती उम्र के साथ

अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जैसे शारीरिक कमजोरी से कार्यक्षमता में कमी, बीमारी, आर्थिक तंगी आदि। समय की बदलती आवश्यकताओं ने परिवार की जगह वृद्धाश्रम ने ले ली है। वृद्धावस्था में व्यक्ति परिवार की जगह वृद्धाश्रम में रहना उचित समझ रहा है, क्योंकि वहाँ उन्हें सेवा सुरक्षा व सहायता के साथ उनकी अकेलेपन की कमी भी दूर होती है। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जो कि वर्तमान समय की प्रमुख सामाजिक समस्या है । वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा व समस्याओं के समाधान के लिये सरकार द्वारा वर्ष 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति का निर्माण किया गया है ताकि नीतियों के आधार पर प्रत्येक राज्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ योजनाओं का निर्माण कर वृद्धवस्था की समस्याओं का समाधान कर सके।

वृद्धावस्था की गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव :

(1) वृद्धजनों की समस्याओं के समाधान के लिए वृद्धजन समस्या निवारण केन्द्र खोले जाने चाहिए।

(2) वृद्धजनों की समस्याओं का एक सर्वे होना चाहिए, जिससे समस्याओं को जानकर निवारण करने के लिए प्रयास किया जा सके।

(3) समाज में वृद्धजनों की उपयोगिता व महत्व को बताने के लिए स्कूल शिक्षा में वृद्धजनों की परिवार में आवश्यकता पर विशेष पाठ होना चाहिए।

(4) सरकार व समाज द्वारा प्रत्येक जगह वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे–केयर सेन्टर खोले जाने चाहिए, जहाँ उनके मनोरंजन के लिए पुस्तकालय, टेलीविजन व फिजियोथेरेपी सेन्टर होना चाहिए।

(5) वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का क्रियान्वयन में सुधार होना चाहिए।

(6) परिवार व समाज में वृद्धजनों के प्रति युवाओं की सोच में परिवर्तन होना चाहिए।

(7) वृद्धावस्था के कल्याणार्थ सरकार द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं की जानकारी के लिए समय–समय पर स्थानीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष :

वृद्धावस्था की प्रमुख समस्याओं से संबंधित आंकड़ों के अनुसार वृद्धावस्था समाज की एक प्रमुख सामाजिक समस्या है, जिसके समाधान के लिए समाज, परिवार, शासन एवं गैर–सरकारी संस्थाओं को एक साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। वृद्धजनों की लगातार बढ़ती जनसंख्या से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सन् 2050 संसार के कुल 33 देशो में वृद्धजनों की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक व दुनिया के 5 बड़े देशों जिसमें भारत भी शामिल है जिसकी जनसंख्या 50 करोड़ से अधिक होगी। यह आंकड़े ''वर्ल्ड पापुलेशन एजिंग 1950–2050'' के अनुसार है। अतः समाज के सभी वर्गो द्वारा को संयुक्त रूप से इस सामाजिक समस्या के समाधान के लिए सकारात्मक पहल करनी होगी।

संदर्भ :

(1) ए.बी.डे. एम.डी. (2006) : "जरा चिकित्सा संबंधी पुस्तिका", "भारत में वृद्धावस्था की देखभाल की चुनौतियाँ", डिपार्टमेन्ट ऑफ मेडिसिन अखिल भारतीय आर्युविज्ञान चिकित्सा संस्थान, नई दिल्ली।

***(2)** आहूजा, राम (1993) : ''सामाजिक समस्यायें'', रावत पब्लिकेशन, जयपुर।*

***(3)** आहूजा, राम (2003) : ''सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान'' रावत पब्लिकेशन, जयपुर।*

***(4)** आहूजा, राम (1993) : ''भारतीय सामाजिक व्यवस्था'', रावत पब्लिकेशन, जयपुर।*

***(5)** भाटिया, एच.एस. (1983) : ''एजिंग एंड सोसायटी'', आर्य बुक सेन्टर, उदयपुर।*

***(6)** गुड तथा हाट (1952) : ''मैथड इन सोशल रिसर्च'', हिल बुक कम्पनी इन्स. न्यूयॉर्क।*

***(7)** हेल्पेज इंडिया, (1 अप्रैल–जून 2012), ''भारत में बुजुर्ग दुर्व्यवहार 2017'' पर राष्ट्रव्यापी रिपोर्ट, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित।*

***(8)** हेल्पेज इंडिया, (1 अप्रैल–जून 2012), ''भारत में बुजुर्ग दुर्व्यवहार 2012'' पर राष्ट्रव्यापी रिपोर्ट, द्वारा प्रकाशित।*

***(9)** जाखड़, डॉ. विक्रम सिंह (2009) : ''वृद्धावस्था एवं बदलते सामाजिक मूल्य'', जयपुर।*

***(10)** ''43 प्रतिशत बुजुर्ग मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं'', मधुरिमा पेज नं. 05, दिनांक 09.08.2017.*

***(11)** 'राष्ट्रीय वृद्धजन नीति'', सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।*

***(12)** तिवारी, योगेश (2010) : ''न्याय का सुरक्षा कवच'', दैनिक भास्कर, दिनांक 01.10.2010, पृ. 04.*

***(13)** www.helpageindia.org*

***(14)** www.oldagesolutions.org*

❁ ❁